उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम),
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्याः 332–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि–2024–20/2009 टी0सी0 दिनांकः 21 मई, 2024

मुख्य अभियन्ता (पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पूर्व)/(पारे0 क्षेत्र उत्तर–पूर्व)/
(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–मध्य)/(पारे0 क्षेत्र दक्षिण–पश्चिम)/
(पारे0प0)/(पारे0म0)/(संचार एवं नियंत्रण)/
(ऊर्जा प्रणाली परिचालन)/(सी0एम0यू0टी0)/
(765 एवं 400 के0वी0 परिकल्पना इकाई)/(नियोजन)/
(जानपद पारेषण–प्रथम/द्वितीय)/
उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0,
प्रयागराज/गोरखपुर/झाँसी/आगरा/मेरठ/लखनऊ।

विषयः **उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ के 39वें वार्षिक महाधिवेशन में सम्मिलित होने हेतु अभियन्ताओं को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक महासचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, उ0प्र0 से प्राप्त आवेदन पत्र सं0–ए एस–संगठन/2022–24/254, दिनांकः 15.05.2024 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उनके संगठन का 39 वाँ वार्षिक महाधिवेशन दिनांक 27 एवं 28 जून, 2024 को लखनऊ में प्रस्तावित है। उन्होंने अनुरोध किया है कि प्रस्तावित कार्यकम में भाग लेने वाले सभी अभियन्ताओं को उक्त तिथियों का "विशेष आकस्मिक अवकाश" प्रदान किया जाए।

संगठन के उपरोक्त आग्रह के संदर्भ में मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती परिषद् के आदेश संख्या–3488बी/एसईबी/एस–17(8एच)/78 दिनॉक 05.12.1983 में निहित प्राविधानों के अनुसार संगठन के उन अभियन्ता सदस्यों को, जो महाधिवेशन में भाग लेने के इच्छुक हों, उन्हें 27 एवं 28 जून, 2024 का "विशेष आकस्मिक अवकाश" विभागीय कार्यो की आवश्यकता एवं आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुए, सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा (प्रारूप आवेदन–पत्र पर) स्वीकृत किया जायेगा।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी, संगठन के सदस्यों, जो उक्त अधिवेशन में सम्मिलित होना चाहें, को उनके व्यक्तिगत प्रार्थना पत्र पर "विशेष आकस्मिक अवकाश" कार्यालय ज्ञाप संख्या–5948(औ0सं0)–17/पाकालि/03–188ए0एस0/96 दिनॉक 31.12.2003, सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–5820 (औ0सं0)–17/पाकालि/03–188ए0एस0/96 दिनॉक 04.12.2004 में निर्धारित प्रकिया के अनुसार कृपया स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्नक : **यथोपरि।**

भवदीय,

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–III)

संख्याः 332(I)–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
2. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

––2––

4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. अपर सचिव (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
8. महासचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, उ0प्र0 को उनके पत्र सं0–ए एस–संगठन/2022–24/254, दिनांक: 15.05.2024 के संदर्भ में।

Satyarth

(सत्यार्थ गंगवार)
उप सचिव (पारेषण–।।।)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद,
शक्ति भवन-14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 3488-सी/रा0वि0प0(ओ0एच0/17)-854/78 दिनांक दिसम्बर 5, 1983

कार्यालय ज्ञाप

विषयगत पूर्व के सभी आदेशों का अतिक्रमण करते हुए परिषद में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियन्स के कर्मचारी प्रतिनिधियों को वार्षिक सामान्य-सभा एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु परिषद निम्नलिखित मार्ग-दर्शिका, सहर्ष निर्धारित करते हैं:-

(1) विशेष आकस्मिक अवकाश केवल परिषद में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के यथार्थ (Bonafide) कर्मचारी सदस्यों को वार्षिक सामान्य सभा एवं केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये ही स्वीकृत किया जायेगा। इन पंजीकृत यूनियनों को यह सुविधा अन्य किसी यूनियन अथवा फेडरेशन के साथ संयुक्त बैठकों हेतु प्राप्त न होगी।

(2) इस प्रकार का विशेष आकस्मिक अवकाश किसी भी विशिष्ट पंजीकृत ट्रेड यूनियन को वर्ष में केवल एक बार वार्षिक सामान्य-सभा के लिये व एक बार केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति के लिये स्वीकृत किया जायेगा।

(3) विशेष आकस्मिक अवकाश वार्षिक सामान्य सभा के लिये दो दिन एवं केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति के लिये एक दिन से अधिक न होगा।

(4) पंजीकृत ट्रेड यूनियन को परिषद से आदेशार्थ विशेष आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश मांगे जाने की तिथि से कम से कम 21 दिन पूर्व इस उद्देश्य के लिये निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-1) में आवेदन करना होगा।

(5) परिषद के इस सम्बन्ध में स्वीकृति आदेश निर्गत हो जाने के उपरान्त कर्मचारी प्रतिनिधियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत करने के लिये अनुलग्नक-2 के प्रारूप-पत्र में आवेदन करना होगा।

(6) कोई कर्मचारी/ट्रेड यूनियन उपर्युक्त विशेष आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं। यह अवकाश सक्षम-अधिकारी द्वारा सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही स्वीकृत किया जायेगा तथा इसका पूर्ण निर्णय निहित सम्बन्धित अधिकारी होगा।

(7) उपर्युक्त प्रस्तर (6) के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य-सभा की बैठक में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश उस कार्यालय/इकाई में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या के 20% से अधिक प्रतिनिधियों को देय नहीं होगा। इसी भाँति यथार्थ कर्मचारी प्रतिनिधियों को केन्द्रीय कार्य-कारिणी समिति में भाग लेने हेतु केवल वास्तविक बैठक के दिन के लिये ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

क्रमशः

(8) विवाद की स्थिति में कि किस/किन कर्मचारियों को अवकाश प्रदान किया जाय, का निर्णय स्थानीय अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर (1) से (7) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानीय शाखों के पंजीकृत ट्रेड यूनियन के परामर्श से किया जायेगा ।

(9) उक्त प्रस्तरों के प्राविधानों में निहित किसी कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत हो जाने पर अवकाश अवधि को [illegible] मैनुअल-आफ-आर्डर्स में निहित प्राविधानों अथवा अन्य परिस्थितियों, अपरिहार्य व विशेष कारणों से देय विशेष आकस्मिक अवकाश में से स्वीकृत अवकाश उस सीमा तक कम कर दिया जायेगा ।

(10) उपर्युक्त को छोड़कर, केन्द्रीय, प्रदेशीय, क्षेत्रीय व परियोजना स्तर की बैठकों के लिये अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिये किसी प्रकार का विशेष आकस्मिक अवकाश देय न होगा ।

2- यह मार्ग दर्शिका सामान्यतया परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों पर लागू होगी । गैर मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के सम्बन्ध में उपरोक्त कार्य हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार परिषद सुरक्षित रखती है ।

3- परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा संघों के सम्बन्ध में आदेश पृथक रूप से निर्गत किये जायेंगे ।

4- कृपया इन आदेशों को सभी सम्बन्धित अधिकारियों के ज्ञान में लाकर अनुपालन हेतु ला दिया जाय ।

अध्यक्ष

संख्या 13488(1)ओ/रा०वि०प०(ओ०पी०-17)-8एम/78 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक/मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।

2- मुख्य लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, शक्ति भवन, लखनऊ ।

3- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ।

4- समस्त क्षेत्रीय लेखाधिकारी, /परियोजना लेखाधिकारी, उ०प्र०रा०वि०परिषद

5- समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

6- समस्त अधिकारी-कक्ष/अनुभाग, परिषद मुख्यालय ।

7- परिषद में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों ।

आज्ञा से,

जगदीश
(जगदीश चन्द्र गुप्ता) 3/12/83

उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या- 5948-औस-17/पाकालि/2003-188ए0एस0/96 दिनांक 31 दिसम्बर 2003

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती राज्य विद्युत परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3488-बी/राविप (औस-17)-8एच0/78 दिनांक 5-12-1983 से पंजीकृत श्रम संघों के कर्मचारी सदस्यों/प्रतिनिधियों को वार्षिक अधिवेशन एवं केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गयी है। निर्गत परिपत्र के अनुलग्नक-दो पर ही श्रम संघों के सदस्यों द्वारा आवेदन करने पर ही नियंत्रक अधिकारी द्वारा विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की नीति है।

इस सम्बन्ध में कालान्तर में यह अनुभव किया गया है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 5-12-1983 के अनुलग्नक-दो के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अधिवेशन/ सम्मेलनों हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और न ही इस प्रकार का कोई अभिलेखीय प्रमाण रखा जा रहा है। परिणामस्वरूप कर्मचारी वर्ष में विभिन्न संगठनों के अधिवेशनों में अवकाश का लाभ उठा लेते हैं।

अतः पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 3488-बी/राविप(औस-17)-8एच/78 दिनांक 5-12-1983 के अनुलग्नक-दो की प्रति संलग्न करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक पंजीकृत श्रम/सेवा संगठन को अधिवेशन/सम्मेलन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की स्थिति में संगठन के प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी से निर्धारित प्रारूप में (अनुलग्नक-दो) में आवेदन प्राप्त करके ही विशेष आकस्मिक अवकाश नियंत्रक अधिकारियों द्वारा अनुमन्य किया जाय तथा उसे कार्यालय अभिलेख में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार आकस्मिक अवकाश का रिकार्ड रखा जाता है तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक कर्मचारी को श्रम/सेवा संगठन के अधिवेशन हेतु वर्ष में केवल एकबार ही अधिवेशन/कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश के उपयोग करने की अनुमति दी जाए।

उक्त आदेशों का कड़ाई एवं निष्ठापूर्वक अनुपालन प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक यथोपरि।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या- 5948-औस-17/पाकालि/2003 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 4, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
2- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
4- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी।
6- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0।

8— समस्त उपमहाप्रबन्धक (लेखा/निधि/सम्प्रेक्षा), उपमुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0।
9— समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0।
10— समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0।
11— समस्त अधिकारीगण/अनुभाग/शिविर, उ0प्र0पा0का0लि0।
12— पावर कारपोरेशन के समस्त श्रम/सेवा संगठन।
13— कट फाइल।

आज्ञा से,

(के0 सी0 सक्सेना)
कार्मिक अधिकारी

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग
लखनऊ-226 001

संख्या- 5820- औस-17/पाकालि/04- 188एएस/98 दिनांक : 04-दिसम्बर ,2004

प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल, वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/ दक्षिणांचल, वि०वि०नि०लि०, आगरा।/ पश्चिमांचल, वि०वि०नि०लि०, मेरठ/ पूर्वांचल, वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/
प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) ,उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक/ उप-महाप्रबन्धक उ०प्र०पा०का०लि०।
महाप्रबन्धक (लेखा/ निधि/ समीक्षा) उ०प्र०पा०का०लि०।

विषय : श्रम/ सेवा संघों के वार्षिक महाधिवेशन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के आदेश संख्या-5948-औस-17/ पाकालि/2003- 188एएस/98 दिनांक 31.12.2003 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-3488-सी/सादिप/औस-47-8एच/78 दिनांक 05.12.1983 में निहित आदेशों व व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पंजीकृत श्रम/सेवा संघों के कर्मचारी सदस्यों/ प्रतिनिधियों/ संघ/ संगठन के वार्षिक अधिवेशन एवं केन्द्रीय कार्यकारणी की बैठकों में भाग लेने हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में ऐसा अनुभव किया गया है कि बहुधा कार्मिकों द्वारा कई संघ/ संगठनों के अधिवेशनों में विशेष आकस्मिक अवकाश का उपयोग कर लिया जाता है, जो नियमानुसार नहीं है।

अतः मुझे पुनः यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक पंजीकृत श्रम/ सेवा संगठनको वार्षिक अधिवेशन/ सम्मेलन हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की दशा में संगठन के प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से उक्त कारपोरेशन आदेश दिनांक 31.12.2003 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करके विशेष आकस्मिक अवकाश वर्ष में केवल एक बार व एक संगठन के अधिवेशन में भाग लेने हेतु अनुमन्य किये जायें तथा इस अवकाश की प्रविष्टि कार्यालय अभिलेखों में रखी जाए।

कृपया इन आदेशों का कड़ाई एवं निष्ठापूर्वक अनुपालन प्रत्येक नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(एल०आर० यादव)
उप-महाप्रबन्धक (औ०सं०)

पृष्ठांकन संख्या- 5820(1)/ पाकालि-औस-17-/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त उप-महाप्रबन्धक (लेखा/ निधि/ समीक्षा), उप-मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, एवं लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।
(2) समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०।
(3) पावर कारपोरेशन मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण/ अनुभाग/ शिविर।
(4) समस्त श्रम/ सेवा संगठन।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कौशल चन्द्र सक्सेना)

परिषदाज्ञा संख्या 4388–बी/राविप(औस–17)–8एच/78 दिनांक 5–1?–1983 का अनुलग्नक–दो

(संशोधित प्रारूप)

सेवा में,

....

....

....

महोदय,

निवेदन है कि मैं ....(श्रम/सेवा संघ)................................का सदस्य हूँ जिसका/जिसकी वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक ....(स्थान का नाम) दिनांक .... को हो रहा है/रही है। मैं अनुग्रहीत होऊँगा कि मुझे दिनांक .... से .... तक का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की कृपा करें।

2– उपरोक्त के तारतम्य में मैं यह घोषणा करता हूँ कि :–

(क) उक्त अवधि में विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग केवल अपने संगठन के वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए ही करूँगा।

(ख) संघ/संगठन के वार्षिक अधिवेशन/केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पूर्ण अनुशासन रखूँगा तथा कोई अवैधानिक कार्य जैसे शासन/कारपोरेशन के विरुद्ध पोस्टर लगाना, रैली निकालना, घेराव करना, प्रदर्शन करना, अनशन, हड़ताल आदि नहीं करूँगा और न ही शासन/कारपोरेशन के कार्य–स्थलों/कार्यालयों पर एकत्रित होऊँगा तथा कारपोरेशन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करूँगा।

(ग) यदि ऐसा पाया गया कि मैं उपरोक्त संगठन का सदस्य नहीं हूँ या मैंने विशेष आकस्मिक अवकाश का उपभोग किसी ओर कार्य के लिए किया या किसी और प्रकार का उल्लंघन किया तो उस स्थिति में मैं अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी होऊँगा।

दिनांक–..............

भवदीय,

कर्मचारी के हस्ताक्षर ....

कर्मचारी का नाम व पदनाम ....

....

नियुक्ति ईकाई/स्थान ....